न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2015

अपीलांट

1. जगदीश पुत्र भेराराम
2. सुनिल पुत्र भेराराम(नाबालिग के जरिये कुदरती वली पिता भेराराम पुत्र उदाराम अपीलांट सख्या 03)
3. भेराराम पुत्र उदाराम
4. गुणाराम पुत्र समाराम जाति जाट निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली।
5. सेणकी पत्नी पारसमल पुत्री उदाराम जातिगण जाट निवासीगण धुंधला तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मुन्नीदेवी पत्नी कानाराम
2. समदु पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री बी.आर. चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री गजेन्द्र दवे विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 133/2013 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा ग्राम आलावास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नंबर 225, 281, 297, 304 कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.79 हैक्टेर, खसरा नंबर 152, 162, 163, 166, 167, 173 कुल खसरा 6 कुल रकबा 20.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4600 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्टगण उदाराम के वारिस नहीं है। एवं न ही रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्याालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु यानि प्रथम दृष्ठया मामला, सुविधा का संतलन व अपूर्णनीय क्षति का विवेचन किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्टगण स्वंय वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी नहीं बता रहे हे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण को खातेदार बताकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा ग्राम आलावास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नंबर 225, 281, 297, 304 कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.79 हैक्टेर, खसरा नंबर 152, 162, 163, 166, 167, 173 कुल खसरा 6 कुल रकबा 20.4600 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजीयात है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजीयात में हक हिस्सा निहित हो चुका है। जिसमें रेस्पोडेन्ट का अपने हिस्से पर कब्जा काश्त अर्से दराज से चला आ रहा अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये भूमि का अन्यत्र बेचान नहीं करने का आदेश दिया है। जो सही है, क्योंकि अपीलांट ने पुश्तैनी आराजी को रेस्पोडेन्ट के हिस्से की आराजी को बेच दी जायेगी तो इससे रेस्पोडेन्ट न्याय से वंचित रह जायेगा। तथा मुकदमे बाजी बढेगी। वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसका निस्तारण साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर तय होगा। किन्तु इस दौरान उक्त आराजी को बेचान करने पर रेस्पोडेन्ट विपरित रूप से प्रभावित होगा। मौके पर विवाद बढेगा अपूर्णनीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मोजा ग्राम आलावास तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नंबर 225, 281, 297, 304

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.79 हैक्टेर, खसरा नंबर 152, 162, 163, 166, 167, 173 कुल खसरा 6 कुल रकबा 20.4600 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांटगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट्स के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में विधिक प्रश्न यह प्रकट होता है कि क्या उक्त भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी है, जिसमें अपीलाण्ट के साथ साथ रेस्पोडेन्ट्स का भी हक हिस्सा निहित है ? इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, किन्तु यदि अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने के कारण पर दौराने वाद वादस्थ भूमि का बेचान हस्तान्तरण करते है, तो निश्चय ही वाद बाहुल्यता होगी। जहां हकों के निर्धारण का प्रश्न निहित हो, उस स्तर पर भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखना ही न्यायोचित निर्णय होता है। इस अनुरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये वादस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द करने का आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 133/2013 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली